राजनाथ बोले : कांग्रेस ने तुष्टिकरण किया

नईदिल्ली, 2 अगस्त. राजनाथ ने उठाए गंभीर सवाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की आतंकवाद नीति पर सीधा हमला बोला. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए आतंकवाद पर समझौता किया, जबकि आज हमारी सेनाओं का मनोबल आसमान छू रहा है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और बिहार में मजबूत नेतृत्व पर भी भरोसा जताया। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है उनकी वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति। कांग्रेस ने आतंकवाद जैसी समस्या को भी वोट बैंक के चश्मे से देखा। इतना ही नहीं उन्होंने आतंकवाद पर भगवा रंग चढ़ाने का भी प्रयास

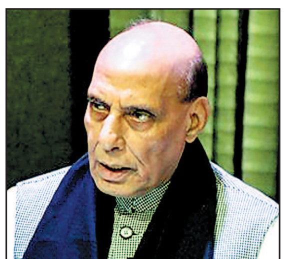

किया और बेगुनाह लोगों को आतंकी षड्यंत्र रचने के आरोप में जेल में डाला. रक्षा मंत्री ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हमारी सरकार आतंकवाद पर लगाम कस सकती है, तो कांग्रेस सरकारों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आतंकवाद कभी काबू में ही नहीं आ पाया.

राहुल अपने परमाणु बम तुरंत फोड़े

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एटम बम वाले बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी के पास कोई एटम बम है, तो उसे फोड़ने में देर क्यों? तुरंत फोड़ दीजिए, बस यह सुनिश्चित कर लीजिए कि खुद किसी खतरे में न पड़ें। राजनाथ सिंह ने राहुल के इस बयान को नाटकीय और अविश्वसनीय बताते हुए याद दिलाया कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने संसद में भूकंप लाने की बात कही थी.

राहुल ने कहा : चुनाव आयोग की हकीकत देश को बताएंगे

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग की गतिविधियों पर उन्हें 2014 में भाजपा को मिली जबरदस्त जीत के बाद से ही संदेह पैदा हो गया था और जब उन्होंने इसकी सच्चाई जानने का प्रयास किया तो जो हकीकत सामने आयी उसको वह पूरे देश को अवगत कराएंगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से ही उन्हें चुनाव प्रक्रिया पर शक था और अब उनके पास सबूत हैं। उनका दावा है कि आयोग की पारदर्शिता पर समझौता हुआ है, जिसे वे देश के सामने लाएंगे।

राजनाथ ने कहा आतंकवाद के खिलाफ सेनाओं का मनोबल आसमान छू रहा है। उसे कमजोर करने का प्रयास न जनहित में है और न ही देशहित में है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मुद्दा आता है तो देश दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होता है। चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, 1999 में कारगिल का संघर्ष हो या फिर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हो देश में राजनीतिक और सामाजिक एकजुटता देखने को मिली है.

रूस में भूंकप के झटके हुए महसूस

मॉस्को, 02 अगस्त. रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 30 जुलाई को आए भीषण भूकंप के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान क्षेत्र में भूकंप के 140 से अधिक झटके महसूस किये गए हैं। आपात स्थिति से संबधित मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कहा क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 3.2 से 6.2 तीव्रता वाले 146 झटके महसूस किए गए। आबादी वाले क्षेत्रों में 2 से 5 तीव्रता वाले 20 से अधिक झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि बेजमियानी, शिवेलुच, क्लुचेवस्कॉय और कारिंस्की ज्वालामुखी सक्रिय हो गये हैं। इसके अलावा कम्बलनी ज्वालामुखी पर भूकंपीय गतिविधि दर्ज की जा रही है जिसमें विस्फोट हो सकता है।

ट्रम्प ने दो परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की घोषणा की

रूस सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष टिप्पणियों के बाद उठाया कदम

वाशिंगटन, 2 अगस्त. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की टिप्पणियों के जवाब में देश की दो परमाणु पनडुब्बियों की उचित क्षेत्रों में तैनाती करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि मेदवेदेव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने एक पोस्ट में ट्रम्प पर रूस के साथ अल्टीमेटम का खेल खेलने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि प्रत्येक नया अल्टीमेटम एक धमकी और युद्ध की ओर बढ़ा

कदम है। यह रूस और यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि उनके अपने ही देश के खिलाफ होगा। इस बीच ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती के स्थानों का उल्लेख नहीं किया। अमेरिकी सेना इनकी तैनाती को गुप्त ही रखती है। साथ ही सभी अमेरिकी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियाँ परमाणु हथियारों से लैस नहीं होती हैं।

उरीबे को 12 साल की नजरबंदी

कोलंबिया राष्ट्रपति पर गवाहों को रिश्वत-धोखाधड़ी का आरोप

कोलंबिया, 2 अगस्त. पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे को न्यायालय ने गवाहों को रिश्वत देने और प्रक्रियात्मक धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराते हुए 12 साल की नज़रबंदी की सज़ा सुनाई है। यह फैसला देश की राजनीति और न्याय प्रणाली दोनों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है.

रूस ने अपने उन्नत ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है और पहली खेप रूसी सशस्त्र बलों को सौंप दी है। रूसी सरकारी मीडिया तास की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने बेलारूसी नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ शुक्रवार को वालम में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा,बड़े पैमाने पर पहली बार ओरेशनिक प्रणाली का उत्पादन और पहली मिसाइल उत्पादित हो चुकी है और इसे सेना को सौंप दिया गया है। यह अब काम कर रही है। लुकाशेंको ने कहा, हम शांति से काम कर रहे हैं और आगे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है।

जापान में जुलाई रहा सबसे गर्म महीना

टोक्यो, 2 अगस्त. जापान में लगातार तीसरे साल जुलाई का महीना सबसे गर्म रहा जहां तापमान सामान्य से 2.89 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि देशभर में जुलाई महीने का औसत तापमान 1898 में शुरू हुए तुलनात्मक रिकॉर्ड के बाद से सबसे अधिक रहा जिसने 2024 में स्थापित पिछले रिकॉर्ड को 2.16 डिग्री सेल्सियस से तोड़ दिया। इस साल सामान्य तापमान का अधिक होने का रिकार्ड पिछले आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है जिससे देश को असामान्य रूप से उच्च तापमान का सामना करना पड़ा। 30 जुलाई को पश्चिमी ह्योगो प्रान्त के ताम्बा शहर में 41.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया जो देश में अब तक का सबसे अधिक तापमान था।

अमरनाथ यात्रा पर बारिश का ब्रेक !

बालटाल में भारी बारिश के कारण ट्रैक पर मरम्मत कार्य जारी

श्रीनगर, 02 अगस्त. जम्मू कश्मीर में हाल में हुई भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा मार्ग पर रखरखाव कार्य किए जाने के कारण रविवार से दोनों मार्गों पर यात्रा स्थगित कर दी गयी है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी ने कहा कि भारी बारिश के कारण बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर मरम्मत और रखरखाव कार्य आवश्यक हैं।

बिधूड़ी ने जानकारी देते हुए

बताया कि कल से पटरियों पर कर्मियों और मशीनों की निरंतर तैनाती के कारण हम यात्रा फिर से शुरू नहीं करवा पाएंगे। इसलिए दोनों मार्गों पर यात्रा स्थगित रहेगी। आधिकारिक प्रवक्ता के मताबिक इस वर्ष 4.10 लाख से अधिक यात्रियों ने श्री अमरनाथजी की पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोकी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैक मरम्मत को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं से धैर्य और सहयोग की अपील की गई है।

केजरीवाल ने एसएससी परीक्षा पर सरकार को घेरा

▶ देश का युवा सड़क पर लाठियां खा रहा है

नईदिल्ली 2 अगस्त. अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट परीक्षा विवाद और प्रदर्शनकारी युवाओं पर हुई लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ युवाओं पर नहीं, उनके सपनों और मेहनत पर है। अब जवाब देना होगा।

अरविंद केजरीवाल -देश का युवा सड़क पर है, लाठियां खा रहा है, क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रहा है। एसएससी की परीक्षाएं लाखों युवाओं की जिंदगी बदल सकती

हैं, लेकिन जब प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में हो तो भरोसा कैसे बचेगा? दरअसल युवाओं पर ये लाठी नहीं चली, बल्कि देश के युवाओं के सपनों और उम्मीदों पर वार हुआ है। युवा पूछ रहा है, कब तक सिस्टम उसकी मेहनत का मज़ाक उड़ाएगा? अब जवाब देना पड़ेगा।

100 वर्षीय मां को भरण-पोषण के लिए अदालत जाना पड़ा

केरल, 1 अगस्त. हाईकोर्ट के जज जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने हाल ही में एक बेहद भावुक और मानवीय फैसले में एक बेटे की याचिका खारिज कर दी, जिसने फैमिली कोर्ट द्वारा अपनी 100 वर्षीय मां को दिए गए 2000 मासिक भरण-पोषण भत्ते के आदेश को चुनौती दी थी। यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि नैतिकता व मानवीय संवेदनाओं का भी प्रतीक बन गया है। जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने याचिका खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसे समाज का हिस्सा हूं, जहां बेटा मां को सिर्फ 2000 देने से इनकार करता है। उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया कि एक मां, जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय बच्चों के पालन-पोषण में लगा दिया, उसे अंतिम पड़ाव पर अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण के द्वारा ग्राम कसरावद, पटवारी हल्का नं. 5 (13) राजस्व निरीक्षक वृत्त बड़वानी, तह. व जिला बड़वानी में स्थित कृषि भूमि सर्वे नं. 162/1, कुल रकबा 3.642 हे. लगान रूपये 19.12 पै की रकबा 5.25 एकड भूमि दक्षिण दिशा तरफ की उत्तरमुखी को क्रय करने का सौदा भूमि स्वामी दिनेश पिता छगनलाल राठौड, राधेश्याम पिता छगनलाल राठौड, कैलाश पिता छगनलाल राठौड, विजय पिता छगनलाल राठौड से किया गया था तथा उक्त सौदे पेटे बयाना राशि भी अदा कर दी गई थी, किन्तु कुछ अपरिहार्य कारणों से उक्त कृषि भूमि का सौदा हमारे पक्षकारगण के द्वारा भूमि स्वामियों से निरस्त कर दिया गया है तथा जो सौदे पेटे बयाना राशि अदा की थी वह भूमि स्वामियों ने वापस दे दी गई है।

अत: उक्त कृषि भूमि सर्वे नं. 162/1 कुल रकबा 3.642 हे. पैकी रकबा 5.25 एकड की भूमि का अब हमारे पक्षकारगण से कोई लेना देना नहीं है तथा उक्त भूमि भूमि स्वामी किसी अन्यत्र को विक्रय आदि करने हेतु स्वतंत्र है।

सो विदित हो।

डी.आर.धारवाल (एडवोकेट)
नि. 18, रामकुलेश्वर कॉलोनी, बडवानी
ऑफिस-2 एडव्होकेट चेम्बर, बड़वानी, जिला बड़वानी
मो. 9755807260

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

स्कीम नं. 78 शाखा: जीएफ-36, सयाजी होटल के सामने, स्कीम 54, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस

आपके, निवेदन पर हमारी शाखा द्वारा निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों, आपको विभिन्न वित्तीय साख सीमाएं स्वीकृत की थी एवं हमको देय कुल राशि में से आपने पूरी राशि भुगतान करने में चूक की है। चूकि आपने आपकी पूर्ण देयताओं के भुगतान में चूक की है अत: हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आपकी देयताओं को गैर निष्पादक आस्तियों (NPA) के रूप में दिनांक **22.06.2025** (एनपीए तिथि) को वर्गीकृत किया है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि हमारे द्वारा अनेकों बार नोटिस देने एवं व्यक्तिगत निवेदन के पश्चात भी कथित ऋणों का भुगतान आपके द्वारा नहीं किया गया। आपको विदित है कि हमारे द्वारा दी गई विभिन्न साख सीमाएं निम्न संपत्तियों (सुरक्षित संपत्तियों) द्वारा अभिरक्षित है।

क्रं.	ऋणी/संपत्ति मालिक/ बंधककर्ता के नाम एवं पते	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक / ₹ बकाया राशि
1.	**मेसर्स करिश्मा इंटरप्राईजेस (ऋणी)** युनीट का पता: 90, रेवेन्यु नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर (म.प्र.) 452009, **प्रोप्राईटर: श्री आशीष पाटीदार पिता स्व. रमेश पाटीदार (ऋणी)**, पता: 77-बी, उषा नगर एक्स्टेंशन, इन्दौर (म.प्र.) 452009, स्थाई पता: 07, शक्ति निवास, गाँधी मार्ग, वल्लभ पथ, अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.) 451556, श्री हरिश पाटीदार पिता स्व. रमेश पाटीदार (जमानतदार), स्थाई पता: 07, शक्ति निवास, गाँधी मार्ग, वल्लभ पथ, अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.) 451556,	प्लाट/मकान नं. 255, वार्ड नं. 04, वल्लभ पथ गली नं. 03, अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.) पर स्थित भूमि एवं किराये का रहवासी मकान का साम्यिक बंधक, क्षेत्रफल: 1488 वर्गफीट, मालिक: श्री हरिश पाटीदार पिता स्व. रमेश पाटीदार एवं आशीष पाटीदार पिता रमेश पाटीदार, चर्तु:सीमा: पूर्व: लेन/कॉमन गली, पश्चिम: भोंगली नदी, उत्तर: कैलाश सतन का मकान, दक्षिण: प्रभु दयाल देव का मकान	मांग सूचना दिनांक 23.06.2025 **24,85,894.00** + दिनांक 23.06.2025 से ब्याज एवं अन्य खर्चे व चार्जेस

उपरोक्त वर्णित कारणों से हम आपसे नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि के अन्दर आपकी देयताओं की सम्पूर्ण रूप से भुगतान की मांग करते है जिसमें चूक की दशा में वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत हम अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे।आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका में वर्णित **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया** के हित मे प्रतिभूत की गई आस्तियाँ को बैंक की लिखित सहमति के बिना विक्रय पत्र, लीज या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं करेंगे। हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते है की यदि आपने अधिनियम के प्रावधानों की अवेहलना की तो वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 2002 की उप धारा 29 के अन्तर्गत एक वर्ष की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। **अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 03.08.2025 — **प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

केदारनाथ यात्रा बहाल, भक्तों की फिर उमड़ी भीड़

रुद्रप्रयाग/देहरादून, 2, अगस्त. उत्तराखंड स्थित भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के कारण कई दिनों से बाधित यात्रा शनिवार को फिर शुरू हो गयी। अब श्रद्धालुओं को लगभग 22 किलोमीटर अतिरिक्त पैदल चलना होगा। रूद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक सर्वेश सिंह पंवार ने बताया कि सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड के मध्य सड़क मार्ग बाधित होने के कारण विगत कुछ दिनों केदारनाथ की यात्रा रुकी हुई थी। केवल वापस आ रहे यात्रियों को सुरक्षा बलों की मदद से वैकल्पिक पैदल मार्ग से लाया जा रहा था।

कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी

विकासखण्ड कन्नौद, जिला देवास (म.प्र.)
email.bpmukannod@gmail.com

क्रमांक/5235/2025 — कन्नौद दिनांक : 31.7.2025

विज्ञप्ति

विकासखंड कन्नौद की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओ मे किराना साम्रगी क्रय करने हेतु एवं समस्त स्वास्थ्य संस्थाओ की प्रसुता गर्भवती, एन.आर.सी. मे भर्ती महिलाओ एवं अन्य भर्ती मरीजो को भोजन प्रदान करने के लिए किराना साम्रगी की आवश्यकता है। इस हेतु दो वर्ष के लिये विज्ञप्ति प्रकाशन के सात दिवस के भीतर अपने अपने कोटेशन बंद लिफाफे मे कार्यालय विकासखंड कन्नौद की आवक-जावक शाखा मे कार्यालयीन समय प्रात: 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक प्रस्तुत करे। समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले कोटेशन पर किसी प्रकार का कोई विचार नही किया जावेगा। इस कार्यालय के द्वारा विज्ञप्ति कोटेशन स्वीकार करने पर आपके द्वारा अनुबंध एवं शर्ते माने जाने की स्थिती मे ही संबधित को क्रय समिति के द्वारा उक्त साम्रगी हेतु चयन किया जावेगा। अंतिम निर्णय क्रय समिति का मान्य होगा। साम्रगी की सूची एवं शर्तों के लिये कार्यालय विकासखंड कन्नौद मे संपर्क करे।

मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी
विकासखण्ड कन्नौद जिला देवास

कमला हैरिस ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया

केलीफोर्निया. कमला देवी हैरिस को 2021 में डेमोक्रेटिक प्रशासन में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया. कमला हैरिस पहली महिला, पहली अफ्रीकी अमेरिकी और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनीं प्रेसिडेंट बाइडेन के इलाज के दौरान कमला हैरिस 85 मिनट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनीं.

आज का इतिहास

- 1783 जॉर्जिया को रूस का संरक्षक बनाया गया।
- 1830 चिली में दास प्रथा समाप्त कर दी गई।
- 1834 पुर्तगाल में लिबरल युद्ध समाप्त हुआ।
- 1870 अमेरिका में पहली अंतरदेशीय रेल सेवा की शुरुआत हुई।
- 1911 भारत के प्रसिद्ध बाँसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म।
- 1937 प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का जन्म।
- 1944 300 लड़ाकू विमानों ने जर्मनी पर बम गिराए।
- 1945 बंगलोर स्थित विप्रो कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अज़ीम प्रेमजी का जन्म।

mp gb मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक

आपका अपना बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय, देवास - सीजन, पहली मंजिल, कालानी बाग, ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.), दूरभाष क्रमांक 07272-251068

अचल संपत्ति हेतु अधिग्रहण की सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा निम्न ऋणी, जिन्होंने **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक** से ऋण ले रखा है, के खातों के अनर्जक होने के कारण ऋण राशि भविष्य का ब्याज एवं खर्चे चुकता करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिया गया था। ऋणी द्वारा रकम का भुगतान करने में असफल रहने पर ऋणी एवं जमानतदार एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा उनके सामने दर्शायी गयी दिनांक को ले लिया है। ऋणी एवं जमानतदार को विशेष तौर पर एवं जनसाधारण को सामान्य: एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्तियों के संबंध में कोई व्यवहार नहीं करें। इन संपत्तियों के संबंध में किया गया व्यवहार **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक** के उक्त ऋण, उस पर देय ब्याज व अन्य खर्चे का प्रभार के अधीन होगा। ऋणी/जमानतदार को यह सूचित किया जाता है कि वे 30 दिन के अन्दर बकाया राशि जमा करके आगामी कार्यवाही से बच सकते है।

क्रं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम	मांग नोटिस दिनांक/ धारण दिनांक/ बकाया राशि	बंधक संपत्ति का विवरण
1.	गंधर्वपुरी	**ऋणी - श्री रजाक शाह पिता गुलाब शाह** पता- ग्राम गंधर्वपुरी तहसील सोनकच्छ, जिला-देवास (म.प्र.)	**09.05.2025** **29.07.2025** **₹ 3,46,301.58** दिनांक 06.05.2025 से ब्याज + अन्य खर्च	आवासीय भवन- सर्वे क्र. 1535/2/2, हल्का नम्बर 24, ग्राम गंधर्वपुरी तहसील, सोनकच्छ, जिला-देवास (म.प्र.), **सम्पत्ति स्वामी- श्री रजाक शाह पिता गुलाब शाह, क्षेत्रफल: 5380 वर्गफीट, चर्तु सीमाएँ: पूर्व में** -श्री राकेश, राधेश, राजेश पिता नरेन्द्र कुमार की भूमि, **पश्चिम में** - श्री उस्मान पिता गुलाब की भूमि, **उत्तर में** - श्री गोधर्वन पिता नागजीराम की भूमि, **दक्षिण में** - शासकीय भूमि होकर रास्ता
2.	छावनी आगर	**ऋणी - श्री कैलाश कुम्भकार पिता भेरुसिंह कुम्भकार**, पता- ग्राम नरवल तह. एवं जिला आगर मालवा (म.प्र.) **जमानतदार: श्री गोपाल यादव पिता अमरसिंह यादव**, पता- ग्राम नरवल तह. एवं जिला आगर मालवा (म.प्र.)	**05.05.2025** **28.07.2025** **₹ 3,49,272.83** दिनांक 02.05.2025 से ब्याज + अन्य खर्च	व्यवसायिक दुकान - स्थित - सर्वे क्र. 331/मिन 29, वार्ड नम्बर 21, हल्का नम्बर 01, बड़ा गवली पुरा, आगर मालवा, जिला-आगर मालवा (म.प्र.), **सम्पत्ति स्वामी- श्री कैलाश कुम्भकार पिता भेरुसिंह कुम्भकार, क्षेत्रफल-140 वर्गफीट, चर्तु सीमाएँ: पूर्व में** - अन्य की दुकान, **पश्चिम में**- गवली जी की दुकान, **उत्तर में** - खुली भूमि विक्रेता की, **दक्षिण में** - 20 फीट चोड़ा रोड, विक्रेता द्वारा प्रदत्त

दिनांक: 03.08.2025

प्राधिकृत अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, देवास

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

अस्ति वसूली शाखा : 12/12-ए, द्वितीय मंजिल अनूप नगर, जीवन प्रदीप, एलआईसी बिल्डिंग, सीएचएल हॉस्पिटल के सामने, इन्दौर-452011

उधारकर्ता को विक्रय हेतु सूचित करने के लिए सूचना (30 दिनो की सूचना)

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2)/8(6) के अंतर्गत

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अस्ति वसूली शाखा, इन्दौर, सुरक्षित ऋणदाता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांक **10/03/2025** को भेजी गई थी, जिसमें आपसे निर्धारित समय के भीतर बकाया भुगतान करने की मांग की गई थी। चूंकि आप निर्धारित अवधि के भीतर उक्त सूचना का पालन करने में विफल रहे, इसलिए प्राधिकृत अधिकारी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6/8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सुरक्षित संपत्तियों को अपने कब्जे में दिनांक **02/07/2025** को ले लिया है।

सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के बाद भी आपने बैंक को देय राशि का भुगतान नहीं किया है। अत:, इस सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 30 दिनों के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करके नीचे उल्लिखित संपत्ति को बेचना आवश्यक हो गया है। ई-नीलामी की दिनांक और समय, संपत्ति का आरक्षित मूल्य एवं सेवा प्रदाता का विवरण, जिसमें ई-नीलामी को आयोजित किया जाना है, आपको अलग से सूचित किया जाएगा।

इसलिए, यदि आप विक्रय सूचना के प्रकाशन की दिनांक से पहले बैंक को देय राशि के साथ बैंक द्वारा लगाए गये ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय का भुगतान करते हैं, तो संपत्ति के विक्रय के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी एवं आप अधिनियम की धारा 13 (8) अंतर्गत अपनी संपत्ति को भुना सकते हैं।

क्रं.	ऋणी एवं जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक
1	**1. ऋणी/यों मैसर्स धनराज ट्रेडर्स (प्रोप्राइटर) श्री दिनेश राठौड़ पिता श्री बाबूलाल राठौड** **पता 1:** सी-51 विद्या पैलेस कॉलोनी, छोटा बांगड़दा, इंदौर 452005 (म.प्र.) **पता 2:** दुकान नंबर 7, लक्ष्मी बाई मंडी, इंदौर 452006 (म.प्र.) **2. जमानतदार/ओं** **ए) श्री दिनेश राठौड पिता श्री बाबूलाल राठौड** **पता:** सी-51 विद्या पैलेस कॉलोनी छोटा बांगड़दा, इंदौर 452005 (म.प्र.) **बी) श्री मुकेश राठौड पिता श्री बाबूलाल राठौड** **पता:** सर्वे नंबर 861 वार्ड नंबर 28, गिरवर रोड के पास, शाजापुर 465001 (म.प्र.) **सी) श्री सुरेश राठौड पिता श्री बाबूलाल राठौड** **पता:** 30-31 कसेरा बाजार, शाजापुर 465001 (म.प्र.)	**संपत्ति - 1** आवासीय मकान नं. 29, वार्ड नं. 9, कसेरा बाजार मेन रोड, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.) के समस्त भाग एवं अंश, **मालिक:** श्री सुरेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, **क्षेत्रफल :** 900 वर्गफीट, **चर्तुसीमा :** उत्तर: कसेरा बाजार लक्ष्मीबाई मार्ग, दक्षिण: कॉमन लेन, पूर्व : श्री हीरालाल कसेरा का मकान, पश्चिम: श्री लक्ष्मीनारायण राठौर का मकान **संपत्ति - 2** सर्वे नं. 861 (मिन), वार्ड नं. 28, ग्राम गिरवर, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.) में स्थित आवासीय संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, **मालिक:** श्री सुरेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, **क्षेत्रफल:** 500 वर्गफीट, **चर्तुसीमा :** उत्तर: श्री सुरेश राठौर, श्री मुकेश राठौर एवं श्री दिनेश राठौर को विक्रेता द्वारा बेची गई जमीन, दक्षिण: कुंताबाई की जमीन, पूर्व: 15 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता/रोड, पश्चिम: श्री रमेश राठौर की जमीन एवं मकान **संपत्ति - 3** सर्वे नं. 862 (मिन), वार्ड नं.28, ग्राम गिरवर, तहसील और जिला शाजापुर (म.प्र.) में स्थित आवासीय संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, **मालिक:** श्री सुरेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, श्री मुकेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, श्री दिनेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, **क्षेत्रफल:** 800 वर्गफीट, **चर्तुसीमा:** उत्तर: शाजापुर गिरवर रोड, दक्षिण: श्री सुरेश राठौर को विक्रेता द्वारा बेची गई जमीन, पूर्व: 15 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता/रोड, पश्चिम: श्री रमेश राठौर का मकान, **संपत्ति -4** सर्वे नं. 57/1 कृषि उपज मंडी के पास, वार्ड नं.29, ए. बी. रोड बायपास के पीछे ग्राम फूलखेडी, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.) स्थित परिवर्तित व्यावसायिक भूमि के समस्त भाग एवं अंश, **मालिक:** श्री सुरेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर एवं श्री दिनेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, **क्षेत्रफल :** 1934 वर्गमीटर, **चर्तुसीमा:** उत्तर: पुराना बायपास रोड एवं कांकड, दक्षिण: सरकारी कांकड, पूर्व: श्री इब्राहिम खान की जमीन, पश्चिम: श्री इब्राहिम खान की जमीन **संपत्ति- 5** सर्वे नं.26/2/1/1/1, प.ह.नं.71, ग्राम बोरसी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) स्थित औद्योगिक उद्देश्य से परिवर्तित भूमि के समस्त भाग एवं अंश, **क्षेत्रफल:** 0.280 हेक्टेयर है जिसमें 5000 वर्गफीट क्षेत्रफल में बना टिन-फैक्ट्री शेड है, **मालिक:** श्री दिनेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, **चर्तुसीमा:** उत्तर: कच्चा रास्ता/रोड, दक्षिण: पिपलिया वाले की जमीन, पूर्व : कच्चा रास्ता/रोड, पश्चिम: सीताराम राठौर की जमीन **संपत्ति- 6** उषागंज की (आईएमसी वार्ड नं. 63), गली नं. 4, इंदौर (म.प्र.) स्थित मकान नं.34 की संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, जिसका **प्लॉट क्षेत्रफल** 925 वर्गफीट है, **मालिक:** श्री दिनेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, **चर्तुसीमा:** उत्तर: रोड़, दक्षिण: नाला, पूर्व : प्लॉट नं. 33/4, पश्चिम: प्लॉट नं. 35/4 **संपत्ति-7** सर्वे नं.126/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, प.ह. नं. 41, वार्ड नं. 1, ग्राम बिलावली, तहसील देवास, जिला देवास, (म.प्र.) स्थित व्यवसायिक परिवर्तित भूमि के समस्त भाग एवं अंश, **क्षेत्रफल:** 0.390 हेक्टेयर, **मालिक:** श्री दिनेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, **चर्तुसीमा:** उत्तर: विक्रेता की कृषि भूमि, दक्षिण: उज्जैन बायपास रोड, पूर्व : श्री जावेद का प्लॉट, पश्चिम: विक्रेता की कृषि भूमि	**10.03.2025** **02.07.2025**

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 21/07/2025

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया